"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2011—चैत्र 25, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-342/18/2004.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 2 की खण्ड (ण) के उपखण्ड (तेरह) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाए;—

"(चौदह) **गंदे पानी का पुनर्चक्रण**— गंदे पानी के उपचार एवं पुनर्चक्रण के लिये उपयुक्त संयंत्र संस्थापित किया जाना चाहिए. इसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विहित मानकों के अनुसार होना चाहिए. यदि कोई कालोनाइजर, उस भूमि पर या उससे लगे भूमि पर एक से अधिक कालोनियों का निर्माण कर रहा हो, तो इसके मानदण्ड के लिए कालोनियों के कुल क्षेत्रफल को संगणित की जा सकेगी."

2. नियम 2 के खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ध) **"निकासी जल"** से अभिप्रेत है, ऐसा जल जो घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा हो अथवा किसी पूर्व उपभोक्ता द्वारा बहाया गया हो."

"(न) **"निकासी जल का उपचार"** से अभिप्रेत है, ऐसा निकासी जल जिसका भौतिक एवं रासायनिक तरीके से उपचार करने के पश्चात् गैर हानिकारक ढंग से उपयोग किया जा सकेगा."

3. नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—
"(1) ऐसा कालोनाइजर जिसका कालोनाइजर रजिस्ट्रीकरण किसी नगर पालिका क्षेत्र में है."

4. नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (दो) में, शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" तथा शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. नियम 4 में, शब्द तथा अंक "रुपये 5,000/- (पांच हजार रुपये)" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये)" एवं शब्द तथा अंक "रुपये 2,000/- (दो हजार रुपये)" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 4,000/- (चार हजार रुपये)" प्रतिस्थापित किया जाए.

6. नियम 8 के उपनियम (2) में खण्ड (एक) से (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,

"(एक)	तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम क्षेत्र	रुपये 15,000/- प्रति हेक्टेयर
(दो)	तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम क्षेत्र	रुपये 10,000/- प्रति हेक्टेयर
(तीन)	नगर पालिका परिषद् क्षेत्र	रुपये 5,000/- प्रति हेक्टेयर
(चार)	नगर पंचायत क्षेत्र	रुपये 2,500/- प्रति हेक्टेयर"

7. नियम 8 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम अंत:स्थापित किया जाए :—
"(3) जहां उपचार की व्यवस्था स्थापित किया जाना हो, वहां कालोनाइजर, नगर पालिका कोष में कालोनी के क्षेत्रफल के अनुसार रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये) प्रति हेक्टेयर प्रतिभूति राशि, अनुमति शुल्क के साथ जमा करेगा. उपचार की व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि वापस लौटा दी जायेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ 4-342/18/2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-342/18/2004, दिनांक 15-04-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 15th April 2011

NOTIFICATION

No. F 4-342/18/2004.—In exercise of the powers conferred by Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and read with Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Nagar Palika (Registration of Colonizers, Terms and Conditions) Rules, 1998, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules :—

1. After sub-clause (thirteen) of clause (i) of rule 2, the following new sub-clause shall be inserted ;—
"(fourteen) **Recycling of waste water** — For treatment and re-cycling of waste water proper machine should be installed. It should be according to specifications prescribed by Public Health Engineering department. If a colonizer develops more than one colony on his land and nearby, than the total area of the colonies may be calculated for its parameters."

2. After clause (l) of rule 2, the following new clauses shall be inserted, namely :—

"(m) 'Waste water' means the water that has once been used for domestic purposes, or lost by a previous user."

"(n) 'Treatment of waste water' means waste water may be used without any harm after physical and chemical method of treatment."

3. For sub-rule (1) of Rule 3, the following shall be substituted :—
"(1) Such colonizer whose colonizer registration is in any municipal area."

4. In clause (two) of sub-rule (2) of Rule 3, for the words "Rupees five lacs" the words "Rupees ten lacs" and for the words "Rupees one lakh" the words "Rupees Three Lacs" shall be substituted.

5. In Rule 4, for words and figures "Rs. 5000/- (Rupees five thousand)" the words and figures "Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand)" and for words and figures "Rs. 2,000/- (Rupees two thousand)" the words and figures "Rs. 4,000/- (Rupees four thousand)" shall be substituted.

6. For clause (one) to clause (four) of sub-rule (2) of Rule 8, the following shall be substituted:—

"(one)	Municipal Corporation area having population of 3 lakh or more.	Rs. 15,000/- per hectare
(two)	Municipal Corporation area having a population less than 3 lakhs.	Rs. 10,000/- per hectare
(three)	Municipal Council area	Rs. 5,000/- per hectare
(four)	Nagar Panchayat area	Rs. 2,500/- per hectare."

7. After sub-rule (2) of Rule 8, the following new sub-rule shall be inserted :—
"(3) Colonizer shall deposit Rs. 1.00 lac (Rupees one lac) per hectare according to area of the colony as security deposit along with permission fee in the municipality account where the treatment plant is to be established. The security deposit shall be refunded after the treatment plant is established."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Dupety Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.